राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि0,जयपुर
5 वीं व 6ठीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone : 0141-2741805, E-mail : rschfjaipur@yahoo.com

क्रमांक– 1101/23 दिनांक– 13/09/2023

कार्यालय आदेश

स्वायतशासी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.03.2022 के अनुरूप RGHS योजना आवासन संघ के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु लागू किये जाने की मांग करने पर आवासन संघ की 18वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 05.09.2023 के बिन्दु संख्या–7 में लिये गये निर्णय के क्रम में संघ के प्रशासकीय निर्णय संख्या–1 दि. 11.09.2023 के द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) अंगीकार करने एवं इस हेतु निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं 50 प्रतिशत राशि आवासन संघ द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः संघ की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 05.09.2023 के बिन्दु संख्या–7 एवं संघ के प्रशासकीय निर्णय संख्या–1 दिनांक 11.09.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार संघ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों बाबत् आरजीएचएस स्कीम लागू कर कुल जमा होने वाली राशि की 50 प्रतिशत राशि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी से प्राप्त की जाकर शेष 50 प्रतिशत राशि आवासन संघ द्वारा जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रशासकीय निर्णय की पालना में एतद् द्वारा उक्तानुसार सेवानिवृत्त/भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को आरजीएचएस योजनान्तर्गत आरजीएचएस मेडिकल सुविधाऐं दिलाये जाने हेतु स्वीकृति दी जाती है। भविष्य में आरजीएचएस द्वारा प्रीमियम दरों में संशोधन/वृद्धि की जाती है तो अन्तर राशि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा वहन की जावेगी। आरजीएचएस योजना का संचालन राज्य सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड व नीतियों के अनुरूप ही आरजीएचएस से प्राप्त होंगे।

(ज्योति गुप्ता) 13/09/23
प्रबंध निदेशक

क्रमांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–

1. प्रशासक महोदय, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि.,जयपुर।
2. सहायक प्रबंधक, कार्यालय हाजा.।
3. लेखा शाखा को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि आवासन संघ के सेवानिवृत्त कार्मिकों की 50 प्रतिशत राशि आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत संघ कोष में जमा होने पर शेष 50 प्रतिशत राशि सहित निर्धारित राशि आरजीएचएस योजना में पंजीयन कर जमा कराने की कार्यवाही करें।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रबंध निदेशक